

अनुमंडल न्यायालय-असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णिया बिहार

स्वत्व वाद सं.- 05/2018

काशीनाथ सिंह बनाम दुखी शर्मा एवम अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
20/03/24	वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। प्रतिवादी की कोइ पैरवी नहीं है। यह वाद वादी की ओर से आदेश 22 नि.3 दिवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19/02/24 पर प्रतिउत्तर सुनवाई एवम आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवम प्रतिवादी की ओर से कोइ उपस्थित नहीं हुए जिस कारण से प्रतिवादी गण को प्रतिउत्तर से वंचित किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त आवेदन को संचालित कर समर्पित किया गया है कि इस वाद के वादी की मृत्यु दिनांक 22/01/24 को हो गई है जो अपने पिछे अपनी पत्नी दुलारी देवी चार पुत्री मो.द्रोपदी देवी, गायत्री देवी, गीता देवी एवम बबिता देवी उर्फ बबिता कुमारी एवम एक पुत्र अरुण कुमार एवम पुत्रवधु बीना देवी उर्फ बेबी देवी को छोड़ कर मरे हैं। अतः निवेदन है की वाद से वादी का नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाए जाने की कृपा की जाय। प्रतिवादी के द्वारा आपत्ति व्यक्त नहीं किया गया है। वादी पक्ष को सुना। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी की मृत्यु हो गई है एवम वादी की ओर से यह आवेदन नियत समय मे लाया गया है अतः वादी के आवेदन को न्यायहित मे स्वीकृत कर वादपत्र से वादी सं.2 नाम विलोपित कर उनके विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वादी आदेशानुसार वादपत्र को संशोधित करे। वाद आगामी दिनांक /04/24 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु नियत लेखापित- असैनिक न्या.(व.को.)बनमनखी पूर्णिया ,बिहार	